अति–आवश्यक
व्यक्तिगत ध्यान हेतु
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

कमांकः राजपत्रित / डीपीसी / एसीआर / 2009 / 2680 दिनांक 8.1.10

समस्त संयुक्त निदेशक, जोन

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

विषय :– बकाया वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन की पूर्ति बाबत्।

सन्दर्भः– निदेशालय का पत्र कमांकः राजपत्रित / डीपीसी / एसीआर / परिपत्र / 2009 / 1931 दिनांक 09.04.09 व 2689 दिनांक 19.11.09

———

उपरोक्त विषय मे आपका ध्यान निदेशालय के सन्दर्भित पत्रो एवं ए.सी.आर. की पूति हेतु समय–समय पर जारी पत्रो की ओर आकर्षित किया जाता है। बडे खेद का विषय है, कि बार–बार निर्देश के बावजूद भी आप द्वारा बकाया ए.सी.आर. की पूर्ति को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

अतः आपको यह अन्तिम चेतावनी दी जाती है, कि आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त चिकित्सको / अधिकारियो की बकाया ए.सी.आर. की स्थिति निदेशालय से ज्ञात कर दिनांक 25.01.10 तक समस्त बकाया ए.सी.आर. के भाग प्रथम व द्वितिय की पूर्ति करा लेवे तथा भाग तृतीय की पूर्ति हेतु समीक्षक अधिकारी के कार्यालय को भिजवा देवे। जो चिकित्सक भाग प्रथम की पूर्ति कर ए.सी. आर. प्रस्तुत नहीं करते है, उनके भाग प्रथम की पूर्ति आपके कार्यालय के रिकार्ड (सेवाभिलेख) से की जाकर **"चिकित्सक द्वारा बार–बार निर्देश के बावजूद भी भाग प्रथम की पूर्ति कर ए.सी.आर. प्रस्तुत नहीं की गई"** की टिप्पणी के साथ भाग द्वितिय की पूर्ति आपके स्तर से कर भिजवाये।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावे तथा दिनांक 01.02.10 तक व्यक्तिगत या फैक्स द्वारा पूर्ण सूचना निम्न हस्ताक्षरकर्ता को भिजवाये अन्यथा आपके विरूद्व सीसीए–17 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

कृ. प. उ.

क्रमांकः राजपत्रित/डीपीसी/2009/ 2680 दिनांक 8.1.10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप—2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, आर.सी.एच./एडस्/ई.एस.आई., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
5. परियोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी.।
6. समस्त प्रधानाचार्य, मेडीकल कॉलेज एवं नियत्रंक, सम्बद्व अस्पताल।
7. समस्त अतिरिक्त निदेशक, मुख्यालय।
8. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
9. अधीक्षक, क्षयरोग प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर।
10. प्रधानाचार्य, आर.एफ.पी.टी.सी., जयपुर/अजमेर।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु।
12. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर